कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : प.21(7)शिक्षा–2/हितकारीनिधि/2017 जयपुर दिनांक 13.10.2017 के द्वारा हितकारी नियम 1975 के अन्तर्गत वार्षिक अंशदान की नई संशोधित दरें, सहायता राशि में बढोतरी एवं बालिका शिक्षा को बढावा देने हेतु ऋण राशि मे बढोतरी बाबत निम्नानुसार आदेश प्रसारित किए जाते हैं।

वार्षिक अंशदान की नई दरों के अनुसार वसूली

1. नियम 4(क) कर्मचारियों से वर्ष 2017–18 का अंशदान दिसम्बर माह के वेतन से जिसका भुगतान जनवरी, 2018 मे दिया जाना है, नई दरों के अनुसार अंशदान की निम्नानुसार वसूली की जाए :–
   (1) समस्त राजपत्रित अधिकारी (स्कूल व्याख्याता सहित) रूपये 500/– प्रतिवर्ष
   (2) समस्त अराजपत्रित कार्मिक/अध्यापक एवं सहा.कर्मचारी सहित रूपये 250/– प्रतिवर्ष

निधन पर सहायता राशि

2. नियम 13(क) सहायता राशि में संशोधन निम्नानुसार किया गया है :–
   (1) शिक्षा विभाग के कार्मिक के सामान्य निधन पर उसके आश्रित को आर्थिक सहायता रूपये 50,000/–
   (2) शिक्षा विभाग के कार्मिक की दुर्घटना में निधन पर उसके आश्रित को आर्थिक सहायता रूपये 1,50,000/–

शिक्षा पर ऋण राशि में बढोतरी

3. नियम 13 (घ) इस नियम के अन्तर्गत पुत्री/पुत्र की शादी पर ऋण के स्थान पर बालिका शिक्षा को बढावा देने के लिये रूपये. 20,000/– का ऋण एक बार देय होगा।

व्यवसायिक शिक्षा पर सहायता राशि

4. नियम 13(ग) इस नियम के अन्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा पर सहायता राशि में संशोधन निम्नानुसार किया गया है :–
   (1) एक वर्ष से दो वर्षीय पाठ्यक्रम अवधि के लिये रूपये 5000/– (एकबार)
   (2) दो वर्ष से अधिक अवधि के पाठ्क्रम हेतु रूपये 10,000/–(एकबार)

उपरोक्त सहायता/ऋण राशि नियमित अंशदाता को ही स्वीकृत की जावेगी। बिन्दु संख्या 2 से 4 के लिये विस्तृत नियम एवं शर्तें अलग से जारी किए जा रहे हैं।

हितकारी निधि योजना की सफलता के लिए अपने अधीनस्थ कार्यालयों/विद्यालयों में इसका प्रचार–प्रसार किया जावे। कल्याणकारी योजनाओं में बढोतरी हेतु वर्ष 2017–18 की अंशदान राशि सभी अधिकारी/कार्मिको से परिवर्तित दर के अनुसार प्राप्त कर भिजवाई जावे। अतः वर्ष 2017–18 का अंशदान "अध्यक्ष, हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर" के नाम का बैंक ड्राफ्ट/ बैंक चैक बनवाकर भिजवावें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जावे।

(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक एवं अध्यक्ष
हितकारी निधि
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–माध्य/हिनि/28519/15–16 दिनांकः 27.10.17 / 30.10.17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त उप निदेशक,माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
3. समस्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
4. समस्त विशिष्ट संस्थाएं/
5. शिविरा पत्रिका/

उप निदेशक(प्रशासन)
एवं सचिव हितकारी निधि